न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 116/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/336

अनवान

1 श्री दिलीप कुमार जटिया पुत्र सोहन लाल जटिया आयु वयस्क जाति जटिया निवासी बडगाव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. श्री ऊंकारलाल पुत्र वरदा आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
2. श्री मोहनलाल पुत्र वरदा आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
3. श्री अमरचन्द पुत्र वरदा आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
4. श्रीमती ज्याली बाई पत्नी स्व. रामलाल आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. दुर्गा पुत्री स्व. रामलाल आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. जमना पुत्री स्व. रामलाल आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
7. श्री भूमियारी जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुरेन्द्र कुमार चोर्डिया, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: :निर्णय: :–

दिनांक : 29.04.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावें। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव, तहसील भीण्डर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	दिलीप कुमार जटिया पुत्र सोहनलाल जटिया हिस्सा सम्पूर्ण जाति जटिया सा. देह खातेदार	939/1	0.2161	चाही प्रथम	7.56
	योग	किता 1	0.2161	—	7.56
2	1 अमरचन्द पुत्र वरदा 5173/41839 जाति चमार सा. देह 2 ऊंकारलाल पुत्र वरदा 22000/41839 जाति चमार सा देह 3 मोहनलाल पुत्र वरदा 7333/41839 जाति चमार सा देह 4 रामलाल पुत्र वरदा 7333/41839 जाति चमार सा. देह खातेदार	3044 आ. खड्डा	0.1000	खड्डा	—
		3045	2.6900	पीड प्रथम	8.07
		937	0.0600	पडत प्रथम	0.18
		[illegible]	0.0500	पडत प्रथम	0.15
		[illegible]	[illegible]3139	चाही प्रथम	10.99
		[illegible]	0.0400	आ. चाह	—
		[illegible]	0.9300	चाही प्रथम	[illegible]
	योग	किता 7	4.1839	—	51.94

डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 116/22 दिलीप कुमार बनाम ऊंकारलाल निर्णय दिनांक 29.04.2024

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र वहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 116/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/336

अनवान

1 श्री दिलीप कुमार जटिया पुत्र सोहन लाल जटिया आयु वयस्क जाति जटिया निवासी बडगांव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादी

बनाम

1. श्री ऊंकारलाल पुत्र वरदा आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री मोहनलाल पुत्र वरदा आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री अमरचन्द पुत्र वरदा आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती ख्याली बाई पत्नी स्व. रामलाल आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. दुर्गा पुत्री स्व. रामलाल आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. जमना पुत्री स्व. रामलाल आयु वयस्क जाति चमार निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.04.2024 को श्री रमेश चन्द्र वहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव, तहसील भीण्डर की निम्न आराजियात का बटवारा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :—

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	दिलीप कुमार जटिया पुत्र सोहनलाल जटिया हिस्सा सम्पूर्ण जाति जटिया सा. देह खातेदार	939/1	0.2161	चाही प्रथम	7.56
	योग	किता 1	0.2161	—	7.56
2.	1. अमरचन्द पुत्र वरदा 5173/41839 जाति चमार सा. देह 2 ऊंकारलाल पुत्र वरदा 22000/41839 जाति चमार सा. देह 3 मोहनलाल पुत्र वरदा 7333/41839 जाति चमार सा. देह 4. रामलाल पुत्र वरदा 7333/41839 जाति चमार सा. देह खातेदार	3044 आ. खड्डा	0.1000	खड्डा	—
		3045	2.6900	बीड प्रथम	8.07
		937	0.0600	पडत प्रथम	0.18
		938 [illegible]	0.0500 (?)	पडत प्रथम	0.15
		[illegible]	0.3139	चाही प्रथम	10.99
		[illegible] आ. [illegible]	[illegible]	[illegible]	—
		942 (?)	0.9300 (?)	चाही प्रथम	32.55
	योग	किता [illegible]	4.1839	—	51.94

नोट— उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested